राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2014–15 / 2737-48 दिनांक : 24-3-15

— : आदेश :—

राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन करने के फलस्वरूप आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायतों के कतिपय प्रकरणों में टुकड़े हो जाने के कारण पूर्व में स्वीकृत ग्राम पंचायत के परियोजना में सम्मिलित गांवों में से कुछ गांव नई ग्राम पंचायत के अधीन आ गये हैं।

आईडब्ल्यूएमपी के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011 के अनुच्छेद 44 के अनुसार परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु पृथक जलग्रहण समिति गठित की जायेगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 10 सदस्यों का चयन करने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.03.2011 के अनुसार जलग्रहण समिति के बैंक खाते का संचालन पी.आई.ए. में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, जलग्रहण समिति सचिव एवं सम्बन्धित सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षरों से किये जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिये जाते है कि परियोजना में सम्मिलित नई ग्राम पंचायतों हेतु पुनः नये सिरे से जलग्रहण समिति का चयन ग्रामसभा के माध्यम से सम्पादित करवाया जावें। साथ ही इस प्रक्रिया में पूर्व में गठित जलग्रहण समिति, जिसमें उन गांवों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, जो कि नई ग्राम पंचायत में सम्मिलित हो गये है, को भी भंग कर नये सिरे से नये परिसीमन के अनुसार जलग्रहण समिति का गठन भी करवाया जाना सुनिश्चित करे।

वर्तमान में जलग्रहण समिति के गठन की प्रक्रिया हेतु आयोजित की जाने वाली ग्रामसभा में सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें स्थानीय विधायक भी सम्मिलित है। चूंकि वर्तमान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, अतः बजट सत्र के दौरान स्थानीय विधायक महोदय जलग्रहण समिति की गठन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पायेंगे।

अतः निर्देश दिये जाते है कि वर्तमान बजट सत्र के दौरान पूर्व में गठित जलग्रहण समितियों के माध्यम से ही कार्य सम्पादित करवाये जावें एवं बजट सत्र समाप्ति के उपरान्त नये परिसीमन के अनुसार पुनः नये सिरे से नई जलग्रहण समितियों का गठन कर उनके माध्यम से कार्य सम्पादित करवाये जावें।

उक्त आदेश राज्य सरकार से अनुमोदित है।

24.3.15

(एम.एस.काला)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

एसएलएनए एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2014-15/2737-88 दिनांक : 24-3-15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त उपनिदेशक, निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
11. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

24.3.15

निदेशक

ACP